भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *158

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना

***158. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः**
श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषतः आंध्र प्रदेश में भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत हुई कुल प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा विशेषतः आंध्र प्रदेश में भूजल विकास के विनियमन के लिए अधिसूचित क्षेत्रों की कुल संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अधिसूचित क्षेत्रों के तहत उल्लंघन की शिकायतों के संबंध में कोई आंकड़े विद्यमान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान कृत्रिम पुनर्भरण घटक के तहत चिह्नित, प्रगतिशील और पूर्ण परियोजनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की इस योजना के विस्तार पर विचार कर इसके तहत नए घटकों को शामिल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना' के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *158 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भूजल प्रबंधन एवं विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे प्रमुख कार्यकलाप पूरे देश में नियमित भूजल स्तर और गुणवत्ता निगरानी सहित वार्षिक गुणवत्ता और संसाधन मूल्यांकन के साथ राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूजल निकासी का विनियमन और नियंत्रण; चुनिंदा जल की कमी वाले क्षेत्रों में कतिपय पथ-दर्शक पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू करना और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए वैज्ञानिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यकलाप राष्ट्रीय जलभृत्त मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) है जिसे जलभृत्तों की रूपरेखा और विशिष्टता को चित्रित करने तथा भूजल प्रबंधन के लिए योजनाएं विकसित करने के उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। इस घटक के तहत, अब तक आंध्र प्रदेश के 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ-साथ देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर मानचित्रण करने योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के कार्यकलापों के लिए सभी राज्य और जिला प्राधिकारियों के साथ जलभृत्त मानचित्रों और प्रबंधन योजनाओं को साझा किया गया है।

(ख): केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा अपने दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, देश में भूजल के निष्कर्षण सह उपयोग को विनियमित किया जाता है। दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों की अवधारणा अब लागू नहीं होता है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं और आकलन इकाइयों (जहां परियोजनाएं स्थित हैं) को सुरक्षित, गंभीर, अर्ध-गंभीर, अति दोहित और खारा श्रेणी के वर्गीकरण के आधार पर भूजल निष्कर्षण प्रभार राशि लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 के सक्रिय भूजल संसाधन आकलन के अनुसार, देश की 6553 कुल आकलन इकाइयों (एयू) में से 736 एयू को अतिदोहित (ओई) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में भूजल संसाधनों का विनियमन और प्रबंधन आंध्र प्रदेश जल, भूमि और वृक्ष अधिनियम (एपीडब्ल्यूएलटीए) के तहत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य के मौजूदा भूमि जल विनियमन व्यवस्था के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में भूजल विकास के विनियमन हेतु सात जिलों में कुल 188 गांवों को अधिसूचित किया गया है। जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): सीजीडब्ल्यूए स्वतः से अथवा भूजल के अवैध निष्कर्षण के विरुद्ध शिकायतों के आधार पर और अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर तत्परता से कार्यवाही करता रहा है। इसके दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध पर्यावरण मुआवजा प्रभार और जुर्माने

लगाए जाते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, 5568 मामलों में जुर्माना और वसूली की गयी है और नवंबर 2024 तक 1150 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया और वसूली की गई है।

इसके अलावा, एपीडब्ल्यूएलटीए से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों सहित मौजूदा वर्ष में उनके द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

(घ): भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं में उस्मानाबाद, वाईएसआर कडपा और वारंगल के आकांक्षी जिलों में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, जल भंडारण के साथ-साथ महाराष्ट्र के वर्धा और अमरावती जिलों में कृत्रिम पुनर्भरण के साथ-साथ राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और सीकर जिलों के चिन्हित जल की कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण के लिए अन्वेषी पुल-सह-बंधारा के विनिर्माण के माध्यम से भूजल में वृद्धि शामिल है। वर्ष 2018 से, भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अंतर्गत देश भर में 195 चेक डैम, 113 रिचार्ज शाफ्ट, 8 पेरकोलेशन टैंक, 5 पुल-सह-बंधारा, 2 सब-सर्फेस बैरियर और 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अलावा, जल शक्ति मंत्रालय देश में वर्ष 2019 से मिशन मोड में जल शक्ति अभियान को कार्यान्वित कर रहा है और इस समय जल शक्ति अभियान 2024 चल रहा है। जल शक्ति अभियान की शुरूआत से, देश में लगभग 1.57 करोड़ रूपये से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया/ चल रहा है और इसके लिए 1.15 लाख करोड़ रूपये का व्यय केवल मनरेगा के साथ संयुक्त रूप से किया गया है।

(ङ): मौजूदा चरण को वर्ष 2021-2026 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है और इस योजना के अंतर्गत नए घटकों को शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

"भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *158 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	**जिला**	**अधिसूचित गांवों की संख्या**
1.	अनंतपुरम	6
2.	चित्तूर	1
3.	पालनाडु	16
4.	प्रकाशम	57
5.	श्री सत्य साईं	42
6.	श्रीकाकुलम	53
7.	वाईएसआर कडप्पा	13
	कुल	**188**

*****